न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 177/2005 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. किशनलाल
2. राजकुमार
3. वीरसिंह
4. तेजराज पुत्रान मूला पुत्र जोधा कौम जाट निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांटस

बनाम

1 जयचन्द पुत्र चुन्नाराम जाट साकिन कोटकासिम
:--- वादी

2 नन्दराम पुत्र श्योचन्द
3 विजयसिंह श्योचन्द
4 रणसिंह पुत्र श्योचन्द (वारिसान श्योचन्द)
5 सूरतसिंह पुत्र चुन्नाराम (फौत)
6 बलराम पुत्र हुकमसिंह
7 मुन्नीदेवी बेवा रामनिवास
8 मनीष उर्फ नवीन बेवा पदमसिंह
9 दीपक पुत्र पदमसिंह
10 सीमा पुत्री पदमसिंह जाट साकिन कोटकासिम (तर0 प्रति0)
:----- असल रेस्पो0

11 छन्नोदेवी बेवा रामपत
12 हरीराम
13 रामचरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

14 लीलू

15 सुबेसिंह पुत्रान रामपत

16 शीलादेवी पुत्री रामपत

17 रतीराम

18 दौलतराम पुत्रान लखमी

19 सदाकौर बेवा रामस्वरूप

20 सतीश

21 सुरेन्द्र पुत्रान रामस्वरूप

22 सन्तोष

23 कमली पुत्रियां रामस्वरूप

24 हुकमा बेवा चन्दगी

25 फूल

26 जयसिंह

27 सुरजन पुत्रान चन्दगी

28 सावत्री पुत्री चन्दगी

29 जगराम पुत्र यादराम

30 फूला पुत्र मुन्शी

31 सन्तोष बेवा शेरसिंह

32 भुतेरी

33 गीता पुत्रियां शेरसिंह जाट साकिन कोटकासिम (असल प्रति0)

:---- फोरमल रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 26.6.2004

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री अमरसिंह यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री विजय कुमार शर्मा

निर्णय दिनांक 6.9.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 758/2001 में पारित निर्णय दिनांक 26.6.2004 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रामपत वगैरा ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.12 वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेकदारी की है, परन्तु आपसी बाहमी बंटवारा के अनुसार 2/3 भाग पर वादी तथा 1/3 भाग पर सुरता तरतीबी प्रतिवादी मौके पर काबिज है । वादी क्योंकि सरकारी मुलाजिम था, प्रतिवादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 1034 की उत्तरी डोल पूर्व से पश्चिम एक गडठा चौडाई में दबा लिया है । दिनांक 19.11.87 को पैमायश कराये जाने पर भूमि दबी होनी की जानकारी हुई । अतः उक्त एक गडठा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा दिलाया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वाद पत्र में हम अपीलांटान को अथवा हमारे पिता को पक्षकार नहीं बनाया, इसलिये अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं हो सकी । हमको इसकी जानकारी उस समय हुई, जब पटवारी हल्का व पुलिस जाप्ता हमारी आराजी पर आये और पत्थरगढी की । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे । हमारी आराजी विवादित नहीं थी और ना ही हमारी आराजी पर अनुतोष मांगा गया था । वादी ने वाद पत्र आराजी खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.12 की आराजी दबी होना बताया है । तरफ उत्तर प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 1036 पडती है । ऐसी स्थिति में इस वाद में ना तो आराजी खसरा नम्बर 1023 विवादित थी और ना ही 1023 का खातेदार हम अपीलांटान का मृतक पिता मूला पक्षकार मुकदमा था, ना हम अपीलांटान पक्षकार मुकदमा थे । परन्तु तहत न्यायालय ने हमको पक्षकार बनाये बिना और हमको सुने बिना हमारी भूमि खसरा नम्बर 1023 की बाबत 2 गडठा भूमि की बाबत डिक्री पारित की है, वह विधिसंगत नहीं है । हम आराजी खसरा नम्बर 1023 के रिकार्डेड खातेदार है । इसलिये निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनन हमको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये । हम अपीलांटान की आराजी, जो कि खसरा नम्बर 1033 व 1034, जिनका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

मौका पर वादी ने एक खेत बना रखा है, के तरफ दक्षिण को है । वादी का वाद तरफ उत्तर को रकबा दबाने का था । तरफ दक्षिण हम अपीलांटान की आबादी है । ऐसी सूरत में खसरा नम्बर 1023 में रकबा दबाने का सवाल ही पैदा नहीं होता । आलोच्य डिक्री की पालना में जब पटवारी हल्का व पुलिस मौके पर गई तो वहां कोई रकबा तरफ दक्षिण खसरा नम्बर 1033, 1034 का नहीं पाया, बल्कि अपीलांटान की जायदाद थी और उन्होंने इस जायदाद के तरफ पूरब एवं तरफ पश्चिम को पत्थर गाडकर आ गये, जिससे वादी का कोई कब्जा भी हासिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता । विवादित भूमि, जिसे 2 गडठा अतिक्रमण बताया गया है, अपीलांटान की खातेदारी की भूमि है, जिस पर पुख्ता तामीरात है व अपीलांटान की रिहायश है । अपीलाधीन निर्णय विधिसंगत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील वादी रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । वादी ने दावा आराजी खसरा नम्बर 1034 की दक्षिणी मेड पर एक गडठा अतिक्रमण करने से उसे बेदखल कर कब्जा दिलाने बाबत प्रस्तुत किया था । वादी ने उक्त वाद पत्र गिरदावर की पैमायश रिपोर्ट दिनांक 19.11.87 के आधार पर प्रस्तुत किया है । उक्त रिपोर्ट में वादी की आराजी खसरा नम्बर 1034 की उत्तरी डोल पर एक गडठा अतिक्रमण होना जाहिर किया है । आराजी खसरा नम्बर 1034 व 1033 वादी की खातेदारी की है तथा आराजी खसरा नम्बर 1036 व 1023 प्रतिवादीगण की खातेदारी की है । वादी की आराजी के उत्तर में प्रतिवादीगण की आराजी 1036 तथा दक्षिण में आराजी खसरा नम्बर 1023 स्थित है । पत्रावली पर जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उससे वादी की 2 गडठा भूमि दबी होना साबित है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

Scanned by CamScanner

7 तहसीलदार कोटकासिम ने मौका सर्वे रिपोर्ट मे बताया है कि आराजी खसरा नम्बर 991 की दक्षिणी मेड ए से आराजी खसरा नम्बर 1033 की दक्षिणी मेड बी तक नक्शे के अनुसार 51 गडठे पर मकेड होनी चाहिये थी, परन्तु यह मेड 53 गडठे की दूरी पर पाई गई है यानि आराजी खसरा नम्बर 1023 के खातेदार ने आराजी खसरा नम्बर 1033 के 2 गडठा रकबे पर पूर्व से पश्चिम तक अतिक्रमण कर रखा है । तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 1034 की मेड डी से आराजी खसरा नम्बर 1041 की उत्तरी मेड एफ तक नक्शे व मौके के अनुसार 14 गडठे मेड आती है । अर्थात आराजी खसरा नम्बर 1034 की उत्तरी मेड पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।

8 उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन से सिद्ध है कि आराजी खसरा नम्बर 1033 व 1034 वादी के दोनों खेत, जिनके मध्य मेड को तोडकर वादी ने मौके पर एक खते बनाया हुआ है, आराजी खसरा नम्बर 1033 का 2 गडठा रकबा पूर्व से पश्चिम आराजी खसरा नम्बर 1023 में शामिल किया हुआ है, जिस पर वादी अतिक्रमण हटवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है । इन सभी तथ्यों की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

9 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2004 यथावत रखे जाते हैं ।

10 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 177/2005 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. किशनलाल

2. राजकुमार

3. वीरसिंह

4. तेजराज पुत्रान भूला पुत्र जोधा कौम जाट निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांटस

बनाम

1 जयचन्द पुत्र चुन्नाराम जाट साकिन कोटकासिम

:--- वादी

2 नन्दराम पुत्र श्योचन्द जाति जाट वगैरा

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 26.6.2004

उपस्थित:- 1. वकील अपीलांट :- श्री अमरसिंह यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री विजय कुमार शर्मा

पर्चा डिक्री दिनांक 6.9.2019

1 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2004 यथावत रखे जाते हैं ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner